संख्या– 125 /XXVII(1)/2012

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1

देहरादून: दिनांक 12 मार्च, 2012

विषय :– प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 एवं शासनादेश संख्या–664/XXVII(1)/2011 दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 की ओर पुनः ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार राज्य के राजस्व व्ययों को नियंत्रित किये जाने की समयबद्ध प्रतिबद्धता है। उक्त अधिनियम के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में अत्यधिक व्यय की प्रवृति (Rush of Expenditure) को नियंत्रित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में शासन/विभाग/कोषागार स्तर पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय –

1. बजट मैनुअल के प्रस्तर–141 के अनुसार सभी अन्तिम बचतों को दिनांक 25 मार्च, 2012 तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित (सरेन्डर) किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
2. 20 मार्च, 2012 के बाद प्रस्तुत किसी भी प्रकार के देयक कोषागार द्वारा चैक निर्गत करने हेतु स्वीकार न किये जाय।
3. वेतन मद में माह मार्च, 2012 में केवल माह फरवरी, 2012 के वेतन का ही भुगतान बजट प्राविधान के अन्तर्गत एवं पुनर्विनियोग के माध्यम से किया जाय। वेतन एवं अन्य वचनबद्ध मद के **एरियर** का भुगतान पुनर्विनियोग के माध्यम से नहीं किया जाय तथा इसका भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में ही किया जाय।

4. सामाग्री कय मद में केवल वहीं देयक भुगतान हेतु कोषागार द्वारा स्वीकार किये जाय जिनके कयादेश 31 जनवरी, 2012 से पूर्व जारी किये जा चुके हो।

उक्त प्रतिबन्ध केन्द्र सरकार, वाह्य सहायतित परियोजनाओं तथा केन्द्रीय संस्थाओं आदि से प्राप्त वित्तीय स्वीकृतियों पर लागू नहीं होगें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 125 (1)/XXVII(1)/2012 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूं उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 एम0 सी0 जोशी)
अपर सचिव, वित्त